



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 203/22 धारा 323/504/506/308/34/326/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.03.2021 को थाना कोतवाली बागपत पर कासिम पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.सुमित पुत्र सुखविन्द्र, 2.जसवन्त पुत्र रोहताश, 3.धर्मेन्द्र पुत्र सुखबीर व 4.सुखमिन्द्र पुत्र सुखबीर निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व उसका दांत दौड दिया तथा जान से मारने की



नियत से पेट में चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 203/22 धारा 323/504/506/308/34/326/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0203/22 धारा 323/504/506/308/34/326/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त सुखमिन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जसवन्त पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उप नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है०का० अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का० 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी वासिद पुत्र यामीन निवासी पुराना कस्बा बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र अख्तर, 2.यामीन पुत्र अख्तर, 3.मुजी पुत्र अख्तर व 4.अफजाल पुत्र महबूब निवासीगण पुराना कस्बा बागपत द्वारा उसके भाइयों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभि0 मुजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

शाहनवाज पुत्र अख्तर निवासी पुराना करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उप नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-का0 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।